

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(16)राज/वाद/14पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

श्री संजय पोटलिया, अपर लोक अभियोजक (सिविल) श्रीगंगानगर की सेवा अवधि दिनांक 01.08.17 से दिनांक 31.07.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।


आज्ञा से


(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
8. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
9. श्री संजय पोटलिया, अपर लोक अभियोजक (सिविल), श्रीगंगानगर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(रीटा तेजपाल) 16-1-18
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

निम्नांकित अपर लोक अभियोजकगण की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है :-

क्र०सं०	अभियोजक नाम	पद नाम
1	श्री नरेश चन्द	अपर लोक अभियोजक (म०उ०प्र०) भरतपुर।
2	श्री गोविन्द सिंह डागुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०3, भरतपुर।
3	श्री विजय गोयल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०4, भरतपुर।
4	श्री राकेश खण्डेलवाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०2, डीग, जिला भरतपुर।
5	श्री महेन्द्र भूषण शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०1, बयाना, जिला भरतपुर।

आज्ञा से

sd
(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (म०उ०प्र०) एवं सं० 3 व 4 भरतपुर/ सं०2, डीग एवं सं० 1, बयाना, जिला भरतपुर।
8. जिला कलक्टर, भरतपुर।
9. कोषाधिकारी, भरतपुर।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

sd
16.1.18
(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(35)राज/वाद/14पार्ट-3

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

श्री सुरेश चन्द शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.) करौली की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

sd
(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
7. विशिष्ट न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.) करौली।
8. जिला कलक्टर, करौली।
9. कोषाधिकारी, करौली।
10. श्री सुरेश चन्द शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.), करौली।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

sd
16.1.18

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज/वाद/14पार्ट-3

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

श्री कमल कान्त शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.) कोटा की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

३०

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा।
7. विशिष्ट न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.) कोटा।
8. जिला कलक्टर, कोटा।
9. कोषाधिकारी, कोटा।
10. श्री कमल कान्त शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.), कोटा।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 16/1/18

:: आदेश ::

श्री अमिताभ सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

५०

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालौर।
7. जिला कलक्टर, जालौर।
8. कोषाधिकारी, जालौर।
9. श्री अमिताभ सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

16.1.18

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(32)राज/वाद/14पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उदयपुर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
7. जिला कलक्टर, उदयपुर।
8. कोषाधिकारी, उदयपुर।
9. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उदयपुर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


16.1.18

(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 16.1.18

:: आदेश ::


श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक,
बाडी, जिला धौलपुर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक
एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाडी, जिला धौलपुर।
8. जिला कलक्टर, धौलपुर।
9. कोषाधिकारी, धौलपुर।
10. श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक
बाडी, जिला धौलपुर।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/14पार्ट-8

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

श्री महावीर सिंह किशनावत, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 12, जयपुर महानगर, जयपुर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

sd

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं० 12, जयपुर महानगर, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर।
10. श्री महावीर सिंह किशनावत, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 12, जयपुर महानगर, जयपुर।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

sd
16.1.18

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(1)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 16-1-18

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(6)न्याय/2017 दिनांक 28.11.17 द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.09.17 को अधिकृत करते हुये अधिसूचना के क्र०सं० 1 पर अपर जिला न्यायाधीश सं० 4, अजमेर की अतिरिक्त बैठक नसीराबाद प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस नियत किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश दिनांक 24.10.17 के क्र०सं० 1 को अधिकृत करते हुये अपर जिला न्यायाधीश सं० 4, अजमेर में कार्यरत अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 4, अजमेर को उक्त अतिरिक्त बैठक में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा निर्देशित किया जाता है।


(श्रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि ।
2. अपर जिला न्यायाधीश सं० 4, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 3 एवं 4, अजमेर ।
5. सहायक लेखाधिकारी, विधि वादकरण विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(श्रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि